

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-22/2015/11/(6)

नया रायपुर, दिनांक 26/05/2015

राज्य शासन की "औद्योगिक नीति 2014-19" के परिशिष्ट-3 में "प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की सूची" वर्गीकरण के आधार पर एवं उत्पाद आधारित है। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को सामान्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता है अतः राज्य शासन यह आवश्यक समझता है कि प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में उच्च तकनीक का समावेश हो, पर्यावरण हित हो व अपेक्षाकृत अधिक रोजगार हो। अतः राज्य शासन एतद् द्वारा प्राथमिकता श्रेणी को उद्योगों की पात्रता हेतु प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश की न्यूनतम सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

प्राथमिकता सूची के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक होने पर ही प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों हेतु निर्धारित औद्योगिक निवेश आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।

प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी मद में निर्धारित पूंजी निवेश न होने पर पात्र उद्योगों को सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त होगी।

वर्गीकरण आधारित -

क्र.	विवरण	प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम निर्धारित सीमा (राशि रु. लाख में)
1.	हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग	60.00
2.	आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स	125.00
3.	साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स	60.00
4.	प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स	125.00
5.	नॉन फेरस मेटल पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद	250.00
6.	एल्युमिनियम पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद	220.00
7.	भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल, पेडी परबायलिंग एण्ड क्लीनिंग, हालर मिल, मुरमुरा मिल तथा राईस ब्रान साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट एवं खाद्य की रिफाइनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाइनरी को छोड़कर)	60.00
8.	ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिब सहित)	125.00
9.	फार्मास्यूटिकल उद्योग	60.00
10.	एंडी स्नेक वेनम, एंडी रेबीज मेडीसिन का निर्माण	60.00

11.	व्हाइट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद	250.00
12.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग	60.00
13.	जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद	60.00
14.	टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)	125.00
15.	रेल्वे, अंतरिक्ष, रक्षा संस्थानों/विभागों, दूरसंचार एवं विमानन कंपनियों को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स	125.00
16.	नवीन एवं नवकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु लगाने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण ।	110.00
17.	विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण हेतु लगाने वाले मशीनरी एवं उपकरण	225.00
18.	जेम्स एवं ज्वेलरी	60.00
19.	मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट	60.00
20.	स्पोर्ट्स गुड्स।	60.00
21.	निजी क्षेत्र में विदेशी तकनीक से विदेशी कम्पनी एवं भारतीय कम्पनी के संयुक्त उपक्रम में स्थापित होने वाले उद्योग।	200.00

उत्पाद आधारित -

1.	एचडीपीडी बैग्स एवं पाईप्स	120.00
2.	मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पीवीडीसी पाईप्स एवं फिटिंग, हाउस होल्ड प्लास्टिक के आयटम	120.00
3.	ट्रान्समीशन लाईन टावर/ मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्ट्स/उपकरण	250.00
4.	स्व-चालित कृषि यंत्र, ट्रैक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स/एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स	60.00
5.	बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रुपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)	25.00
6.	लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रुपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)	25.00
7.	फ्लाई एश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)	13.00
8.	रेडीमेट गारमेन्ट्स (केवल अपरेल पार्क में स्थापित होने वाले)	20.00
9.	सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाइजर्स	250.00
10.	निर्यातक उद्योग एवं 100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग	100.00
11.	वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग	120.00

12.	कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्वर्स	60.00
13.	फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, ग्रेनाइट पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, मार्बल पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, अन्य मिनरल राक की कटिंग एवं पॉलिशिंग तथा टाईल्स निर्माण	15.00
14.	पोलिस्टर स्टेपल फाईबर	100.00
15.	ग्रामोद्योग इकाईयां यथा पेन निर्माण, झालर निर्माण, अगरबत्ती, दोना पत्तल निर्माण, पशु आहार, साबुन एवं वाशिंग पावडर, फिनाईल, स्कूल बैग, सी.एफ.एल. बल्ब, स्टील विण्डो/ डोर/ रोलिंग शटर्स एवं अन्य जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश 10 लाख रुपये हो।	10.00
16.	सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रुपये 10 लाख)	10.00
17.	वूडन सिजनिंग एवं केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रुपये 25 लाख हो)	25.00
18.	हैंड पंप	
19.	सबमर्सिबल पंप	60.00
20.	इलेक्ट्रिक मोटर	60.00
21.	ग्रेन साइलो	60.00
22.	प्रीफेब्रीकेटेड बिल्डिंग सामग्री	125.00
23.	पेन्ट/ डिस्टेम्पर	125.00
24.	पोहा	125.00
25.	नान प्लास्टिक बैग्स	100.00
		10.00

- टीप:- 1. राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को यह अधिकार होगा कि पूंजी निवेश की उपरोक्त सीमा में आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन करें।
2. उपरोक्त अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-एक में अंकित परिभाषाएं लागू होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुबोध कुमार सिंह)

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

नया रायपुर